न्यायालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – डॉ.इंद्रजीत यादव, IAS

जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 28/2024
जीसीएमएस नं. : 2024/99

प्रार्थी :-

सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी,
जिला रसद कार्यालय, बॉसवाडा

बनाम

अप्रार्थी :-

श्री कान्तिलाल/ धुलजी भोई प्रोपराईटर रामदेव रेस्टोरेन्ट, घाटोल जिला बांसवाडा (राजस्थान)

उपस्थित

–विभागीय प्रतिनिधि

अप्रार्थी स्वयं

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

दिनांक :– 18–12–2024

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान सरकार द्वारा घरेलू एलपीजी सिलेण्डरो के दुरुपयोग/ अवैध रिफिलिंग के विरुद्ध दिनांक 17.09.2024 से 27.09.2024 तक चलाए गए सघन अभियान के तहत दिनांक 26.09.2024 को घाटोल में स्थित रामदेव रेस्टोरेन्ट, घाटोल जिला बांसवाडा (राजस्थान) का निरीक्षण श्री धर्मेन्द्र कुमार रोत, प्रवर्तन अधिकारी, श्री सुनील कुमार मीणा प्रवर्तन निरीक्षक एवं श्री गौरव सुथार प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा किया गया। निरीक्षण के दौरान रामदेव रेस्टोरेन्ट, घाटोल जिला बांसवाडा (राजस्थान) पर फर्म के प्रोपराईटर श्री कान्तिलाल/ धुलजी भोई उपस्थित मिले। जांच में मौके पर 2 घरेलु सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग हेतु भण्डारण करना पाया गया। उक्त गैस सिलेण्डर का विवरण निम्नानुसार है–

क्र. स.	नाम ऑयल कम्पनी	सिलेंडर का एस. आर. नम्बर	कुल वजन किग्रा. में	खाली सिलेण्डर वजन	गैस का वजन
1	ईण्डेन गैस	119787 E	18.200	16.100	2.100
2	ईण्डेन गैस	44212 I	15.500	15.500	0.000

Signature Not Verified
Digitally signed by Indrajeet Yadav
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

श्री कान्तिलाल/ धुलजी भोई द्वारा व्यवसायिक स्थल पर घरेलु गैस सिलेण्डर के भण्डारण के सम्बन्ध में किसी प्रकार का संतोषजनक जवाब नही दिया गया, न ही किसी प्रकार के साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। इस प्रकार मौके पर व्यवसायिक स्थान पर 02 घरेलु सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग किया जाना पाये जाने एवं द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय का विनियमन एवं वितरण) आदेश 2000 के खण्ड 3 (ग), 4(1 क), 6, 7 (क,ख,ग) का उल्लघंन होने के साथ ही आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के खण्ड 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। मौके पर पाये गये 02 घरेलु गैस सिलेण्डर जब्त किये जाकर प्रियान्शु इण्डेन गैस, घाटोल के अधिकृत प्रतिनिधि श्री मोहनलाल/ रावजी मसार को सुपुर्दगी में दिया गया।

इस प्रकार प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद कार्यालय बॉसवाडा द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत कर मौके से उपरोक्तानुसार जप्त 02 घरेलु गैस सिलेण्डर को राजसात करने हेतु निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थी को जरिये समन तलब किया गया। दिनांक 29.11.2024 को उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया अप्रार्थी ने जवाब में मुख्य रुप से यह उल्लेख किया कि दिनांक 26.09.2024 को घाटोल में मेरे रेस्टोरेंट से 2 घरेलु गैस सिलेण्डर जब्त किये गये थे। उक्त दोनो घरेलु गैस सिलेण्डर खाली थे वह भरवाने के लिये नीचे स्थित अपनी दुकान के बाहर रखे गए थे। मेरे रेस्टोरेंट के उपर ही मेरा मकान है। जब्त किए गए घरेलु गैस सिलेण्डर सुपूर्द करने का श्रम फरमावे।

दिनांक 18.12.2024 को उभय पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत बहस सुनी गई। अप्रार्थी द्वारा जवाब में उल्लेखित बिन्दुओ को दौहराते हुए कथन किया गया कि दोनो घरेलु गैस सिलेण्डर खाली थे वह भरवाने के लिये नीचे स्थित अपनी दुकान के बाहर रखे गए थे। मेरे रेस्टोरेंट के उपर ही मेरा मकान है। जब्त किए गए घरेलु गैस सिलेण्डर सुपूर्द करने का श्रम फरमावे।

प्रार्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधि ने कथन किया कि दिनांक 26.09.2024 को घाटोल में स्थित रामदेव रेस्टोरेन्ट, घाटोल जिला बांसवाडा (राजस्थान) का निरीक्षण श्री धर्मेन्द्र कुमार रोत, प्रवर्तन अधिकारी, श्री सुनील कुमार मीणा प्रवर्तन निरीक्षक एवं श्री गौरव सुथार प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा किया गया। निरीक्षण के दौरान रामदेव रेस्टोरेन्ट, घाटोल जिला बांसवाडा (राजस्थान) पर फर्म के प्रोपराईटर श्री कान्तिलाल/ धुलजी भोई उपस्थित मिले। जांच में मौके पर 2 घरेलु सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग हेतु भण्डारण करना पाया गया। श्री कान्तिलाल/ धुलजी भोई द्वारा व्यवसायिक स्थल पर घरेलु गैस सिलेण्डर के भण्डारण के सम्बन्ध में किसी प्रकार का संतोषजनक जवाब नही

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.02.11 11:01:41 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

दिया गया, न ही किसी प्रकार के साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। इस प्रकार मौके पर व्यवसायिक स्थान पर 02 घरेलु सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग किया जाना पाये जाने एवं द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय का विनियमन एवं वितरण) आदेश 2000 के खण्ड 3 (ग), 4(1 क), 6, 7 (क,ख,ग) का उल्लघंन होने के साथ ही आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के खण्ड 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। मौके पर पाये गये 02 घरेलु गैस सिलेण्डर जब्त किये जाकर प्रियान्शु इण्डेन गैस, घाटोल के अधिकृत प्रतिनिधि श्री मोहनलाल/ रावजी मसार को सुपुर्दगी में दिया गया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 स्वीकार कर उपरोक्तानुसार जप्त 2 घरेलु गैस सिलेण्डर को राजसात करने हेतु निवेदन किया।

हमने पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब में यह उल्लेख किया है कि अपने रेस्टोरेंट मे व्यवसायिक सिलेण्डर का ही उपयोग किया जाता है। किन्तु अप्रार्थी द्वारा व्यवसायिक गैस सिलेण्डर सम्बन्धित दस्तावेज यथा उपभोक्ता डायरी प्रस्तुत करने में असफल रहा है। अप्रार्थी द्वारा उपरोक्तानुसार 2 घरेलु गैस सिलेण्डर रामदेव रेस्टोरेंट, घाटोल जिला बांसवाडा (राजस्थान) पर भण्डारण करना पाया गया है। पत्रावली के संलग्न फर्द निरीक्षण पर मौके पर स्थित स्वयं अप्रार्थी के हस्ताक्षर है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा व्यवसायिक फर्म पर घरेलु गैस का भण्डारण किया जाना किया जाना प्रमाणित है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार जब्त शुदा 02 घरेलु गैस सिलेण्डर को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते है। जिला रसद अधिकारी, बांसवाड़ा उक्त 2 घरेलु गैस सिलेण्डर का नियमानुसार निस्तारण करें।

निर्णय आज दिनांक 18–12–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा (राज.)

(डॉ.इंद्रजीत यादव)
जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Indrajeet Yadav
Date: 2025.02.11 11:01:41 IST
Reason: SelfAttested